

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-63/2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

डा0 आशुतोष, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, सोनभद्र, बंशी, सूर्यपुर, अरवल (बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग, जन्म तिथि-29.01.1992) को नीट पी0जी0-2025 के परीक्षा में काउंसलिंग/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं0 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं0 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सक को अनुमति मात्र पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. इस संबंध में पूर्व से निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

06. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :

82(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 22/01/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Wahmukhazilal
सरकार के उप सचिव